राजस्व वाद 62/2019
जीसीएमएस नंबर 2019/00093
पुसाराम वगैरह बनाम् पन्नी वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :62/2019

वादीगण–

1. पुसाराम पुत्र बक्साराम
2. गिरधारीराम पुत्र बक्साराम
3. झमकु देवी पत्नी गिरधारीराम
   जातियान–जाट निवासीगण– कमेड़िया ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. पन्नी पत्नि बक्साराम
2. सुप्यारी पुत्री बक्साराम
3. गणेशी पुत्री बक्साराम
4. पार्वती पुत्री बक्साराम
5. सीता पत्नी पुसाराम
   जातियान–जाट निवासीगण– कमेड़िया, तहसील जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 14/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा नोसरिया एवं कमेड़िया तहसील जायल में खेत खसरा नं. 389 रकबा 50.17 बीघा, खसरा नंबर 117 रकबा 11.01 बीघा, खसरा नंबर 197/192 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 22 रकबा 70.16 बीघा एवं संयुक्त परिवार में रहते हुवे परिवार की कमाई से खरीद सुदा खेत खसरा नंबर 269 रकबा 19.18 बीघा एवं खसरा नंबर 19 रकबा 16.08 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 3 (क व घ), पैरा 4 के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 पुसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेडिया का खेत खसरा नंबर 389 रकबा 50.17 बीघा व मौजा नोसरिया का खेत खसरा नबर 117 रकबा 11.01 बीघा, खसरा नंबर 197/192 रकबा 6 बीघा रखा गया है। वादी संख्या 2 गिरधारीराम के हक बंट कब्जा

14/05/2022

काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 22 रकबा 70.16 बीघा रखा गया है। वादी संख्या 3 झमकु देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 19 रकबा 16.08 बीघा रखा गया है। वादी संख्या 1 व 2 के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 269 रकबा 19.18 बीघा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 पानी देवी के हक बंट में मौजा सेडाउ का खेत खसरा नंबर 123/35 रकबा 11 बीघा यथावत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 328/1 रकबा 0.10 बीघा यथावत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 के हक बंट की भूमि उसके पति के नाम आई हुई है जो आपसी पारिवारिक बंटवाड़े में शामिल करते हुवे बंटवारा किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 14.07.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह गिरधारीराम पुत्र बक्साराम, पुसाराम पुत्र बक्साराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम सेडाउ तहसील–जायल सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 44 प्रदर्श–1, ग्राम डेह तहसील जायल सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 233 प्रदर्श –2, ग्राम नोसरिया तहसील जायल सम्वत् 2071–2071 खाता संख्या 62 प्रदर्श–3,ग्राम कमेड़िया सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 186,187, प्रदर्श–4, ग्राम नोसरिया तहसील जायल सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 71 प्रदर्श–5, ग्राम नोसरिया तहसील जायल सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 93 प्रदर्श–6 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है

तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 14.07.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 14.07.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हक बंट में खसरा नंबर 117,197/192,389,22 में कोई भूमि नहीं रखी गई है न हि भूमि रखे जाने के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। इसलिये भूमि अन्तरण का मामला प्रतीत होता है।

प्रकरण हाजा मौजा कमेड़िया,नोसरिया,डेह,सेडाउ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खेत खसरा नंबर 389 ,117,197/192, 22, 19, 269,123/35,328/1 की भूमि का माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 17.08.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 17.08.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2107 दिनांक 08.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी पुसाराम, झमकु देवी, गिरधारीराम, पन्नी देवी ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान मुकेश एवं बाघसिंह तथा भू.अभि.निरीक्षक कमेड़िया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 389, मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 369, मौजा नोसरिया के खेत खसरा नंबर 117, 197/192, 22, 19 तहसील जायल के सहखातेदार के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

राजस्व वाद 62/2019
जीसीएमएस नंबर 2019/00093
पुसाराम वगैरह बनाम् पन्नी वगैरह

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 389, मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 369, मौजा नोसरिया के खेत खसरा नंबर 117, 197/192, 22, 19 तहसील जायल के सहखातेदार के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 पुसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेडिया का खेत खसरा नंबर 389 रकबा 8.2313 हैक्टेयर सम्पूर्ण नजरीनक्शानुसार व मौजा नोसरिया का खेत खसरा नबर 117 रकबा 1.7887 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 197/192 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 गिरधारीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 22 रकबा 11.4607 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 झमकु देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 19 रकबा 2.6547 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 1 व 2 गिरधारीराम, पुरसाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त 1/2–1/2 में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 269 रकबा 3.2213 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
5. प्रतिवादी संख्या 2 पानी देवी के हक बंट में मौजा सेडाउ का खेत खसरा नंबर 123/35 रकबा 11 बीघा यथावत रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 328/1 रकबा 0.10 बीघा यथावत रखा गया है।
7. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
8. बैंक के रहन खसरान् के संबध में संबंधित बैंक को सूचित हो (रहन होने की स्थिति में)

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 62/2019
जीसीएमएस नंबर 2019/00093
पुसाराम वगैरह बनाम् पन्नी वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 62/2019

वादीगण–

1. पुसाराम पुत्र बक्साराम
2. गिरधारीराम पुत्र बक्साराम
3. झमकु देवी पत्नी गिरधारीराम
   जातियान–जाट निवासीगण– कमेड़िया ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. पन्नी पत्नि बक्साराम
2. सुप्यारी पुत्री बक्साराम
3. गणेशी पुत्री बक्साराम
4. पार्वती पुत्री बक्साराम
5. सीता पत्नी पुसाराम
   जातियान–जाट निवासीगण– कमेड़िया, तहसील जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित ।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 389, मौजा डेह के खेत खसरा नंबर 369, मौजा नोसरिया के खेत खसरा नंबर 117, 197/192, 22, 19 तहसील जायल के सहखातेदार के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 पुसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेडिया का खेत खसरा नंबर 389 रकबा 8.2313 हैक्टेयर सम्पूर्ण नजरीनक्शानुसार व मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 117 रकबा 1.7887 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 197/192 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

राजस्व वाद 62 / 2019
जीसीएमएस नंबर 2019 / 00093
पुसाराम वगैरह बनाम् पन्नी वगैरह

2. वादी संख्या 2 गिरधारीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 22 रकबा 11.4607 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 झमकु देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 19 रकबा 2.6547 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 1 व 2 गिरधारीराम, पुरसाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त 1/2-1/2 में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 269 रकबा 3.2213 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
5. प्रतिवादी संख्या 2 पानी देवी के हक बंट में मौजा सेडाउ का खेत खसरा नंबर 123/35 रकबा 11 बीघा यथावत रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 328/1 रकबा 0.10 बीघा यथावत रखा गया है।
7. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
8. बैंक के रहन खसरान् के संबध में संबंधित बैंक को सूचित हो (रहन होने की स्थिति में)

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् -खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखात व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)